संख्या-435 /2018/**4608**/नौ-5-2018-107बजट/2015

प्रेषक,

राधे कृष्ण,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक 18 दिसम्बर, 2018

विषय: वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत नगर पंचायत, महोना जनपद लखनऊ की पेयजल पुनर्गठन योजना हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपुर्यक्त विषयक जिलाधिकारी, लखनऊ के पत्र संख्या-323/टीएसी-जांच/2018, दिनांक 03.11.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद लखनऊ की नगर पंचायत, महोना जनपद लखनऊ की पेयजल पुनर्गठन योजना हेतु योजना की निर्धारित लागत रू0 32.75 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष शासनादेश संख्या-316/2015-5037/नौ-5-15-107बजट/15, दिनांक 08.10.2015 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रू0 16.37 लाख अवमुक्त किया गया है, का व्यय हो जाने के दृष्टिगत द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में **रू0 16.38 लाख (रू0 सोलह लाख अड़तीस हजार मात्र)** को निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम तथा संयुक्त सचिव/विशेष सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाता/पी.एल.ए. में नहीं रखी जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय होने तथा कार्य गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराये जाने के साथ उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने पर अवशेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(4) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(7) कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।

(8) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 के सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक *"2215-जलपूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय (अपूर्ण योजनाओं हेतु)-0401-नगरीय निकायों के कार्यों हेतु -35-पूंजीगत परिसम्पित्तयों के सृजन हेतु अनुदान"* डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्रशासनिक विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 435 /2018/4608(1)/नौ-5-18, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- जिलाधिकारी, लखनऊ ।
4- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
5- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालाय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7- अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, महोना, लखनऊ।
8- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
9- मुख्य अभियन्ता (ल0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
10- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
11- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
12- सूपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
13- निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
14- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2018-2019
आवंटन दिनांक-18/12/2018

प्रेषण संख्या:- 435
आवंटन आदेश संख्या:- 001-435-2018-4608-9-5-2018-107B-2015
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनेत्तर-मतदेय)
01 - जलपूर्ति
193 - नगर पंचायतों /.अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता
04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय (अपूर्ण योजनाओं हेतु)
01 - नगरीय निकायों के कार्यों हेतु

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	1638000 107250000	1638000 107250000
	योग	वर्तमान प्रगामी	1638000 107250000	1638000 107250000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सोलह लाख अड़तीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दस करोड़ बहत्तर लाख पचास हजार

(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव